

CANCELLED

पाँच रुपये

पाँच रुपये

पाँच रुपये

पाँच रुपये



राजस्थान मंडल काटिपयुक्त क्षेत्र - सागर

175

न्यायालय:- श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी, सागर, राजस्थान

सागर/शुभा/2018/0895

- 1- सुरेश कुमार उम्र 50 साल पिता स्व0 भैयाजी साहू
- 2- निवासी मोतीनगर वार्ड सागर तह0 व जिला-सागर
- 2- बबलू उर्फ हरीश उम्र 48 साल पिता स्व0 भैयाजी साहू
- 3- मृत- पप्पी उर्फ नरेश उम्र 46 साल पिता स्व0 भैयाजी साहू

वारिस:-

- 3000 श्रीमती प्रीति साहू उम्र 40 साल पति स्व0 पप्पी उर्फ नरेश साहू
- 8000 छ रितिक साहू उम्र 17 साल ना0वा0 पिता स्व0 पप्पी उर्फ नरेश
- 8000 कु0 रितिका उम्र 15 साल ना0वा0 पिता स्व0 पप्पी उर्फ नरेश
- 8000 करन साहू उम्र 13 साल ना0वा0 पिता स्व0 पप्पी उर्फ नरेश
- क्र03 ख, ग, घ, ना0वा0 संरक्षक व वली मां श्रीमती प्रीति साहू

- 4- संजय उर्फ रानू उम्र 35 साल पिता स्व0 भैयाजी साहू
 - 5- राजेश कुमार उम्र 42 साल पिता स्व0 भैयाजी साहू
 - 6- श्रीमति बबीता उर्फ कविता साहू उम्र 30 साल पुत्री स्व0 भैयाजी साहू
- पत्नि दिनेश साहू सभी निवासी चन्द्रशेखर वार्ड मोती नगर सागर तहसील सागर जिला-सागर म0प्र0

आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

//विरुद्ध//

- 1- गनेश पिता रामप्रसाद पटेल उम्र 55 साल निवासी पगरा रोड सुभाषनगर
- 2- वार्ड सागर जिला-सागर म0प्र0
- 2- श्रीमति त्रिवरानी विधवा पत्नि लीलाधर पटेल उम्र 65 साल
- 3- मोहनलाल पिता लीलाधर पटेल उम्र 40 साल
- दोनों निवासी चन्द्रशेखर वार्ड, अग्रवाल नक्शा वार्डों के पीछे सागर,
- 4- लक्ष्मण पटेल पिता छोटेलाल पटेल उम्र 55 साल
- 5- बबलू पिता छोटेलाल पटेल उम्र 45 साल
- 6- सुहागरानी पत्नि स्व0 छोटेलाल पटेल उम्र 70 साल उपरोक्त क्रमांक- 4, 5, 6, निवासी सिंधी कैम्प के पास, किल्लवाई नाका दमोह तह0 दमोह जिला दमोह म0प्र0
- 7- श्रीमति बबीता पत्नि रामचरण पटेल पिता छोटेलाल पटेल
- 8- गुड्डू पिता छोटेलाल पटेल निवासी सुभाषनगर वार्ड सागर जिला-सागर
- 9- श्रीमति प्रभा पत्नि शोभा पुत्री छोटेलाल पटेल दोनों निवासी ग्राम वनगुवां छुई खुरई रोड सागर तहसील व जिला-सागर
- मृत- टीकाराम पिता रामप्रसाद पटेल उम्र 60 साल

वारिस:-

- 10- ललिता पटेल पत्नि रामचरण पुत्री टीकाराम पटेल निवासी शास्त्री-वार्ड आई.टी.आई. के बाजू वाली गली सागर जिला-सागर म0प्र0

अना0गण/प्रत्या0गण ता0प्रस्तुत:- 18/12/17

रा0पुनरीक्षण क्र. अ/6 वर्ष 16-17 पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 मूरा0नं0 1959

आवेदकगण/अपी0गण के द्वारा यह पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय सागर के द्वारा रा0प्र0 क्र0- 79अ/6 वर्ष 16-17 में धारा-52 म0 रा0 सं0 के आवेदन पत्र पर दिनांक- 06/12/2017 को पारित आदेश, जो कि विधि के विरुद्ध है से पीड़ित होकर,

B-0 B. 26 DEC 2017

255 26/12/17

सागर जिला-सागर म0प्र0 काचिपयुक्त क्षेत्र, सागर तहसील, सागर जिला-सागर म0प्र0

- 25 -
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक I/निगरानी/सागर/भू0रा0/2018/0895

सुरेश कुमार आदि विरुद्ध गनेश आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों के हस्ताक्षर
07-3-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सागर जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 79/अ-6/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 06-12-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 6-5-2019 को कलेक्टर सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p style="text-align: center;">3.</p> <p style="text-align: right;">सदस्य 07/3/19</p>